ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

श्री दीपक बोरा,
पैनल अधिवक्ता,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 14 /एल0बी0सी0/2024 दिनांक 15 अप्रैल,2024

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्यं मे पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसकी छायाप्रति इस कार्यालय मे प्रेषित की गई है।

उक्त के कम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या–08/एल0बी0सी0–2024 दिनांक 08.04.2024 द्वारा सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन मे आख्या/रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया (छायाप्रति संलग्न)।

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी के पत्र संख्या–58/मा0रा0प्रा0/ 2024–25 दिनांक 10.04.2024 के द्वारा अपनी आख्या मे उल्लेख किया गया है, कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या–14 के कम मे सूचना उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को पत्र संख्या–1738 दिनांक 18.03.2024 को प्रेषित किया गया जिसके कम मे उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पत्र संख्या–893 दिनांक 06. 04.2024 जो उनके कार्यालय को दिनांक 10.04.2024 को प्राप्त हुआ जिसमे उत्तराखण्ड पेयजल निगम मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय बिन्दु संख्या–14 के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया है, कि वर्तमान मे मसूरी पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना से 04.00 एम0एल0डी0 पानी उत्पादित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वितरण प्रणाली के लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिये गये है, तथा अवशेष कार्य दिनांक 15 मई 2024 तक पूर्ण करा लिये जायेगें (छायाप्रति संलग्न)। साथ ही अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी ने अपने पत्र संख्या–64/मा0रा0 प्रा0/2024–25 दिनांक 12.04.2024 के द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि उपरोक्त सूचना मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दिनांक 19.04.2024 से पूर्व उपलब्ध करा दी जायेगी (छायाप्रति संलग्न)।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध उपरोक्तानुसार प्राप्त आख्या से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

(सोनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रतिलिपिः– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून।

ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

श्री दीपक बोरा,
पैनल अधिवक्ता,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 14 /एल0बी0सी0/2024 दिनांक 15 अप्रैल,2024

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसकी छायाप्रति इस कार्यालय मे प्रेषित की गई है।

उक्त के कम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या–08/एल0बी0सी0–2024 दिनांक 08.04.2024 द्वारा सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन मे आख्या/रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया (छायाप्रति संलग्न)।

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी के पत्र संख्या–58/मा0रा0प्रा0/ 2024–25 दिनांक 10.04.2024 के द्वारा अपनी आख्या मे उल्लेख किया गया है, कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या–14 के कम मे सूचना उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को पत्र संख्या–1738 दिनांक 18.03.2024 को प्रेषित किया गया जिसके कम मे उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पत्र संख्या–893 दिनांक 06.04.2024 जो उनके कार्यालय को दिनांक 10.04.2024 को प्राप्त हुआ जिसमे उत्तराखण्ड पेयजल निगम मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय बिन्दु संख्या–14 के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया है, कि वर्तमान मे मसूरी पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना से 04.00 एम0एल0डी0 पानी उत्पादित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वितरण प्रणाली के लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिये गये है, तथा अवशेष कार्य दिनांक 15 मई 2024 तक पूर्ण करा लिये जायेगें (छायाप्रति संलग्न)। साथ ही अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी ने अपने पत्र संख्या–64/मा0रा0 प्रा0/2024–25 दिनांक 12.04.2024 के द्वारा यह भी अवगत कराया गया है, कि उपरोक्त सूचना मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दिनांक 19.04.2024 से पूर्व उपलब्ध करा दी जायेगी (छायाप्रति संलग्न)।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध उपरोक्तानुसार प्राप्त आख्या से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

(सोनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून।

प्रतिलिपिः– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून।

दूरभाष–0135–2632055
E-Mail - ce_ujsmie@yahoo.co.in

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

दिनांक 12/04/2024

पत्रांक 64 / मा0 रा0 प्रा0 / 2024–25

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–353 / 2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 16–02–2024 के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु सं0 14 के कम में निम्नानुसार अवगत कराना है।

1.	पर्यटन सीजन में कुल जनसंख्या	–	93520
2.	ऑफ सीजन में कुल जनसंख्या	–	50078
3.	पर्यटन सीजन में कुल पेयजल की मांग	–	14.50 एम0एल0डी0
4.	वर्तमान में उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा उत्पादित पेयजल की मात्रा	–	7.67 एम0एल0डी0
5.	वर्तमान में पेयजल निगम द्वारा उत्पादित पेयजल की मात्रा	–	4.00 एम0एल0डी0

पेयजल निगम द्वारा अपने पत्र सं0 893 / 181 / 15 दिनांक 06–04–2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मसूरी पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना से 4.00 एम0एल0डी0 पानी उत्पादित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वितरण प्रणाली के लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं तथा अवशेष कार्य दिनांक 15 मई 2024 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे, जिसके उपरान्त अवशेष जल की मांग की पूर्ति कर ली जायेगी। उपरोक्त सूचना मा0 राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकरण को दिनांक 19–04–2024 से पूर्व उपलब्ध करा दी जायेगी।

भवदीय

(अमित कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1:– सचिव प्रशासन महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन बी–ब्लॉक नेहरू कॉलोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2:– अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा0) महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान, 95–राजपुर रोड़ देहरादून को सादर सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner

दूरभाष–0135–2632055
E-Mail - ee_ujsmie@yahoo.co.in

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक 58 / मा0 रा0 प्रा0 / 2024–25. दिनांक 10/04/2024

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–353 / 2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 16–02–2024 के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु सं0 14 के कम में सूचना उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को इस कार्यालय के पत्र सं0 1738 दिनांक 18–03–2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया जिसके कम में उत्तराखण्ड पेयजल निगम का पत्र सं0 893 दिनांक 06–04–2024 जो कि इस कार्यालय को आज दिनांक 10–04–2024 को प्राप्त हुआ जिसमें उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्णय बिन्दु सं0 14 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में मसूरी पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना से 4.00 एम0एल0डी0 पानी उत्पादित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वितरण प्रणाली के लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं तथा अवशेष कार्य दिनांक 15 मई 2024 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे।

अतः महोदया उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ।

भवदीय

(अमित कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– सचिव प्रशासन महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन बी–ब्लॉक नेहरू कॉलोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ।

2:– अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा0) महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान, 95–राजपुर रोड़ देहरादून को सादर सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता

3070 10/04/24
935 10-4-24
Aram FIR
LBC For N-A
ADM (FIR) 10/04
DM 10/4

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी
कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला
देहरादून– 248003

Office of Executive Engineer Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam Mussoorie
Kutumb Vihar, P.O. Sinaula
Dehradun -248003

Email:-jalnigam.mussoorie@yahoo.com

पत्रांक 893 / 181 / 15 दिनांक 06/04/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
मसूरी।

विषय : मा0 राष्ट्रीय प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–353/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1738/म0पु0पे0यो0/2023–24 दिनांक 18.03.2024 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्णय बिन्दु 14 के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि वर्तमान में मसूरी पुर्नगठन पम्पिंग पेयजल योजना से 4.00 एम0एल0डी0 पानी उत्पादित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वितरण प्रणाली के लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिये गये है तथा अवशेष कार्य दिनांक 15 मई 2024 तक पूर्ण कर लिये जायेगें।

भवदीय

(सन्दीप कश्यप)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता

NGT

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/महत्वपूर्ण/समयबद्ध।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या 08 /एल0बी0सी0–2024 दिनांक 08 अप्रैल,2024

सेवा में,

01:– सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आई0टी0 पार्क देहरादून।

02:– अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित मूल आवेदन संख्या–353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे पारित आदेश दिनांक 16.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी छायाप्रति इस कार्यालय मे प्राप्त हुई है।

अतः उक्त संदर्भित आदेश दिनांक 16.02.2024 कि छायाप्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि जा रही है, कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही समयबद्ध एवं शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01:– क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

02:– श्री दीपक बोरा, पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

10/4/24